रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2010/श्रावण 1, 1932
No. 409] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2010/SHRAVANA 1, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 617(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्तराखण्ड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात्:-

(1) ये विनियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) नवम् संशोधन विनियमावली, 2010 कहलाएंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में उत्तराखण्ड शीर्षक में, उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

उत्तराखण्ड

	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	84	तैनाती के लिए न्यूनतम कार्यकाल(वर्षों में)
	मुख्य सचिव	1	-
	महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल	1	2

	सरकार के प्रधान सचिव	4	2
	मुख्य राजस्व आयुक्त	1	2
	प्रधान सचिव, वन एवं ग्रामीण विकास आयुक्त	1	2
	प्रधान सचिव एवं आधारिक संरचना विकास आयुक्त	1	2
	प्रधान सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त	1	2
	आवास आयुक्त	1	2
	सरकार के सचिव	13	2
	राज्यपाल के सचिव	1	2
	मुख्य मंत्री के सचिव	1	2
	प्रभागीय आयुक्त	2	2
	उत्पाद शुल्क आयुक्त	1	2
	आयुक्त, कर	1	2
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन	1	2
	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग	1	2
	आयुक्त, श्रम एवं निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोज़गार	1	2
	निदेशक, संस्कृति एवं खेल	1	2
	आयुक्त परिवहन	1	2
	निदेशक, सूचना एवं सम्पादक राजपत्र	1	2
	पंजीयक, सहकारी समितियां	1	2
	जिलाधीश	13	2
	अपर सचिव	11	2
	मुख्य विकास अधिकारी	5	2
1.	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	66	
2.	सीडीआर उक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	26	
3.	एसडीआर उक्त मद का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	16	
4.	टीआर उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	02	
5.	एलआर और कनिष्ठ पद रिज़र्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	10	
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33-1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं	36	
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	84	
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	120	

[फा. सं. 11031/04/2009-अ.भा.से. (II)-क]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने के पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तराखण्ड संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 94 थी ।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की सा.का.नि. संख्या 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तराखण्ड संवर्ग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तारीखों द्वारा उन्हें संशोधित किया गया :-

क्र.सं.	जी.एस.आर. संख्या	दिनांक
1.	805(अ)	21.10.2000
2.	806(अ)	21.10.2000
3.	347	04.10.2004
4.	231अ	27.03.2008
5.	188अ	24.03.2009

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2010

G.S.R. 617(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Uttarakhand** hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Ninth Amendment Regulations, 2010.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading **"UTTARAKHAND"** for the entries occurring there under, the following shall be substituted namely:-

UTTARAKHAND

	Senior Duty Posts under the State Government	**84**	**Minimum tenure for posting (in years)**
	Chief Secretary	1	-
	Director General, Uttarakhand Academy of Administration, Nainital	1	2

	Principal Secretary to Government	4	2
	Chief Revenue Commissioner	1	2
	Principal Secretary Forests & Rural Development Commissioner	1	2
	Principal Secretary & Infrastructure Development Commissioner	1	2
	Principal Secretary & Social Welfare Commissioner	1	2
	Resident commissioner	1	2
	Secretary to Government	13	2
	Secretary to Governor	1	2
	Secretary to Chief Minister	1	2
	Divisional Commissioner	2	2
	Commissioner, Excise	1	2
	Commissioner, Taxes	1	2
	Chief Executive Officer, Tourism	1	2
	Commissioner & Director Industries	1	2
	Commissioner, Labour and Director, Training & Employment	1	2
	Director, Cultural & Sports	1	2
	Commissioner Transport	1	2
	Director, Information & Editor Gazetteer	1	2
	Registrar, Co-operative Societies	1	2
	District Magistrates	13	2
	Additional Secretary	11	2
	Chief Development Officer	5	2
1.	**Total Senior Duty Posts**	66	
2.	**Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above**	26	
3.	**State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above**	16	
4.	**Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above**	02	
5.	**Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of item 1 above**	10	
6.	**Posts to be filled by promotion under Rule 9 of The Indian Administrative Service(Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of item 1,2,3 & 4**	36	
7.	**Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)**	84	
	TOTAL AUTHORIZED STRENGTH	120	

[F. No. 11031/04/2009-AIS (II)-A]

HARISH C. RAI, Desk Officer

Note 1 : Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Uttarakhand IAS Cadre was 94.

Note 2 : The principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22.10.1955. Subsequently, they were amended in respect of the Uttarakhand Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates:-

S.No.	GSR Nos.	Date
1.	805(E)	21.10.2000
2.	806(E)	21.10.2000
3.	347	04.10.2004
4.	231E	27.03.2008
5.	188(E)	24.03.2009

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 618(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उत्तराखण्ड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. (i) ये नियम भारतीय वन सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे ।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में:-

(क) तालिका में 'अनुसूची ।।-क में, राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऊपर के वेतन वाले पदों में, प्रथम कॉलम में 'उत्तराखण्ड' प्रविष्टि और द्वितीय कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'उत्तराखण्ड'

मुख्य सचिव	80,000/- रूपये (नियत)
महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल	80,000/- रूपये (नियत)
सरकार के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) – 79000/-
मुख्य राजस्व आयुक्त	एच.ए.जी. वेतनमान 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) – 79000/-
प्रधान सचिव, वन एवं ग्रामीण विकास आयुक्त	एच.ए.जी. वेतनमान 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) – 79000/-

2864 GI/10-2

प्रधान सचिव एवं आधारिक संरचना विकास आयुक्त	एच.ए.जी. वेतनमान 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) – 79000/-
प्रधान सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त	एच.ए.जी. वेतनमान 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) – 79000/-
आवास आयुक्त	पीबी-4+जीपी 10000/- रु.
सरकार के सचिव	पीबी-4+जीपी 10000/- रु.
राज्यपाल के सचिव	पीबी-4+जीपी 10000/- रु.
मुख्य मंत्री के सचिव	पीबी-4+जीपी 10000/- रु.
प्रभागीय आयुक्त	पीबी-4+जीपी 10000/- रु.
उत्पाद शुल्क आयुक्त	पीबी-4+जीपी 10000/- रु.
आयुक्त, कर	पीबी-4+जीपी 10000/- रु.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन	पीबी-4+जीपी 10000/- रु.

(ख) 'अनुसूची-II' भाग-ख में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में उत्तराखण्ड शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग
आयुक्त, श्रम एवं निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोज़गार
निदेशक, संस्कृति एवं खेल
आयुक्त परिवहन
निदेशक, सूचना एवं सम्पादक राजपत्र
पंजीयक, सहकारी समितियां
जिलाधीश
अपर सचिव
मुख्य विकास अधिकारी

[फा. सं. 11031/04/2009-अ.भा.से. (II)-ख]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 20.03.2008 की सा.का.नि. सं. 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 665(अ) दिनांक 19.09.2008, सा.का.नि. सं. 123(अ) दिनांक 15.04.2009, सा.का.नि. सं. 542(अ) दिनांक 21.07.2009, सा.का.नि. सं. 572(अ) दिनांक 13.08.2009, सा.का.नि. सं. 820 दिनांक 12.11.2009, सा.का.नि. सं. 72(अ) दिनांक 10.2.2010, सा.का.नि. सं. 102(अ) दिनांक 25.02.2010, सा.का.नि. सं. 191(अ) दिनांक 12.03.2010, सा.का.नि. सं. 298(अ) दिनांक 08.4.2010, सा.का.नि. सं. 397(अ) दिनांक 11.5.2010, सा.का.नि. सं. 404(अ) दिनांक 13.5.2010, सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 17.5.2010, सा.का.नि. सं. 432(अ) दिनांक 20.5.2010, सा.का.नि. सं. 434(अ) दिनांक 20.5.2010 एवं सा.का.नि. सं.451(अ) दिनांक 26.05.2010 द्वारा संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2010

G.S.R. 618(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Uttarakhand hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely: -

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Eleventh Amendment Rules, 2010.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:-

In "Scheduled II-A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry **'UTTARAKHAND'** occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:

"UTTARAKHAND"

Chief Secretary	**Rs.80000/-(fixed)**
Director General, Uttarakhand Academy of Administration, Nainital	**Rs.80000/-(fixed)**
Principal Secretary to Government	**HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000/-**
Chief Revenue Commissioner	**HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000/-**
Principal Secretary Forests & Rural Development Commissioner	**HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000/-**
Principal Secretary & Infrastructure Development Commissioner	**HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000/-**
Principal Secretary & Social Welfare Commissioner	**HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000/-**

Resident commissioner	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary to Government	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary to Governor	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary to Chief Minister	PB-4 + GP Rs.10000/-
Divisional Commissioner	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner, Excise	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner, Taxes	PB-4 + GP Rs.10000/-
Chief Executive Officer, Tourism	PB-4 + GP Rs.10000/-

(b) In "Schedule II-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under 'Uttarakhand', the following shall be substituted, namely:-

Commissioner & Director Industries
Commissioner, Labour and Director, Training & Employment
Director, Cultural & Sports
Commissioner Transport
Director, Information & Editor Gazetteer
Registrar, Co-operative Societies
District Magistrates
Additional Secretary
Chief Development Officer

[F. No. 11031/04/2009-AIS (II)-B]

HARISH C. RAI, Desk Officer

Note : The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide GSR No.213(E) dated the 20.03.2008 and subsequently were amended vide GSR No.665(E) dated 19.09.2008, 123 (E) dated 15.04.2009, GSR No.542(E) dated 21.07.2009, GSR No.572(E) dated 13.08.2009, GSR No. 820 dated 12.11.2009, GSR No. 72 (E) dated 10.02.2010, GSR No.102 (E) dated 25.2.2010, GSR No. 191 (E) dated 12.03.2010, GSR No. 298 (E) dated 08.04.2010, GSR No. 397 (E) dated 11.05.2010, GSR No. 404 (E) dated 13.05.2010, GSR No. 413 (E) dated 17.05.2010, GSR No. 432 (E) dated 20.05.2010, GSR No. 434 (E) dated 20.05.2010 and GSR No. 451 (E) dated 26.05.2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.